फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

घीसू पिता नारू जी नाई निवासी डिण्डोली, तहसील राशमी

बनाम

भैरूलाल पिता बालू जी नाई निवासी डिण्डोली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 42/2016 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलांट प्रकरण में लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर उभय पक्ष को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	